न्यायालय जिला कलक्टर (आर्बीट्रेटर) बून्दी

पीठासीन अधिकारी — **अक्षय गोदारा**
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.43 / प्रा0पत्र / 2024 (GCMS No. 2024 / 55)	04.03.2024	30.07.2024

मोडूलाल आ. नन्दा जाति गुर्जर,
निवासी ग्राम भवानीपुरा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी (राज.)

— प्रार्थी

बनाम

1. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधीक्षण अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. राष्ट्रीय उच्च मार्ग, नारदन बाईपास फेज–II गामछ मेघा हाईवे (एस.एच.–33) कोटा
2. प्राधिकृत अधिकारी, (भूमि अवाप्ति) नारदन बाईपास फेज–II गामछ मेघा हाईवे (एस.एच.–33) अति0 जिला कलक्टर (सीलिंग), बून्दी
3. तहसीलदार, तालेडा

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 (जी) राष्ट्रीय उच्च मार्ग अधिनियम,1956

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से श्री सुनीलकुमार दाधीच व श्री जितेन्द्र कोठारी, एड0
अप्रार्थी सं. 2, 3 की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी सं. 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) राष्ट्रीय उच्च मार्ग अधिनियम,1956 इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि नारदन बाईपास फेज–II गामछ मेघा हाईवे (एस.एच.–33) सड़क निर्माण में प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा संख्या 607 में से रकबा 0.680 हैक्टेयर एवं ख.सं. 849 / 605 में से रकबा 0.819 हैक्टेयर किस्म नहरी–II दोयम वाकेग्राम भवानीपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी भूमि अवाप्त की गई है। जिसके लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), बून्दी द्वारा

जिला कलक्टर, बून्दी

प्रेषित सूचना नोटिस मुआवजा भुगतान प्रपत्र कमांक राजस्व/21/90 दिनांक 23.02.2022 में भूमि की किस्म गेर मुमकिन खलियान मानकर 20,22,222.22 रूपयें प्रति बीघा के हिसाब से मानकर मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। प्रार्थी के खाते की अवाप्त की गई उक्त भूमि की किस्म नहरी दोयम है। कोटा–लालसोट मेघा हाईवे के सहारे एवं प्रार्थी की भूमि के पास ही स्थित समान किस्म की अन्य भूमि का मुआवजा 30,00,000/– रूपये एवं दूसरी ओर की जमीन का मुआवजा 28,00,000/– रूपये प्रति निर्धारित किया गया है। इसलिए प्रार्थी भी उक्तानुसार 30 लाख रूपये प्रति बीघा की दर से मुआवजा निर्धारित करवाकर भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी ने अवार्ड की सूचना मिलने पर दिनांक 05.09.2023 को मुआवजा राशि में संशोधन किये जाने हेतु अप्रार्थी सं.2 के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर प्रार्थी को श्रीमान के न्यायालय में कार्यवाही करने का परामर्श दिया गया है। प्रार्थी की उक्त अवाप्तशुदा भूमि की किस्म प्रारम्भ से ही नहरी दोयम रही है जो वर्तमान में भी नहरी दोयम ही है, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि की किस्म बिना किसी आधार के भूमि की किस्म गैर मुमकिन खलियान मानकर मुआवजे का निर्धारण काफी कम किया गया। प्रार्थी को अवार्ड की सूचना मिलने के तुरन्त बाद उसके खाते की अवाप्तशुदा भूमि की किस्म खलियान नहीं होने से भूमि की किस्म नहरी दोयम मानकर मुआवजा राशि में संशोधन के लिए दिनांक 05.09.2023 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था, किन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस पर अंतिम बार दिनांक 15.02. 2024 को अप्रार्थी सं. 2 से सम्पर्क कर अनुरोध किया तो उन्हौने मौखिक रूप से यह कार्यवाही प्रस्तुत करने हेतु परामर्श दिया। प्रार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करवाने की अधिकारी है इस हेतु पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राशि भूमि की किस्म नहरी दोयम मानकर संशोधित राशि की भुगतान करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 43/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2024/55 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं.1 की ओर से दिनांक 21.07.23 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थी की अवाप्त की गई भूमि की किस्म के बारे में जांच किये बिना ही किस्म गे.मु.खलियान के हिसाब से मुआवजा राशि का निर्धारण कर दिया गया, जो गलत है, जबकि प्रार्थी खातेदार की अवाप्तशुदा भूमि की किस्म नहरी दोयम है, इसके बावजूद इस किस्म की अन्य समीपस्थ भूमियों के अनुसार मुआवजे का निर्धारण नहीं किया गया, जिससे प्रार्थी को उचित मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में उक्त अवार्ड नियमानुसार नहीं होने से संशोधित किया जाना उचित है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अवाप्तशुदा भूमि के रेकार्ड की जांच की जाकर पुनः पंचाट जारी कर प्रार्थी को उचित मुआवजा दिये जाने का आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि किस्म नहरी दोयम होना स्वीकार किया गया तथा उक्त किस्म नहरी दोयम के अनुसार ही संशोधित मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाना उचित माना है।

हमने पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रकरण में तलब की गई सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि उत्तरी कोटा बाईपास फेज–II के गामछ से बल्लोप सेक्शन के निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3(की) की उपधारा (1) के अन्तर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना दिनांक 22.11.2016 भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 में जारी की गई। जिसका स्थानीय दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 07.07.2017 को प्रकाशन किया जा चुका है। तदनुसार धारा 3–जी अवार्ड राशि का निर्धारण खातेदार के पक्ष में किया गया। इस प्रकरण में मुआवजा धारा 3–जी अनुसार ग्राम भवानीपुरा, तहसील तालेडा में स्थित अवाप्तशुदा भूमि खसरा संख्या 849/605 किस्म गे.मु. खलियान में से रकबा 0.819 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 607 किस्म गे.मु. खलियान में से रकबा 0.680 हैक्टेयर का जमाबंदी अनुसार हितबद्ध खातेदार को भुगतान किये जाने हेतु निर्धारित किया गया है। इस पर प्रार्थी को आपत्ति है कि उसके खाते की अवाप्त की गई उक्त भूमि की किस्म गे.मु.खलियान मानकर मुआवजा का निर्धारण किया गया है जबकि वास्तव में उसके खाते की अवाप्त की गई भूमि की किस्म नहरी दोयम दर्ज रेकार्ड है। अतः उक्तानुसार संशोधित मुआवजा राशि का निर्धारण किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर; बून्दी

पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत् 2057 से 2060 ग्राम भवानीपुरा, पटवार मण्डल गामछ, तहसील तालेडा के अवलोकन से प्रकट है कि ग्राम भवानीपुरा की आराजी खसरा सं. 605 रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा किस्म नहरी दोयम एवं ख.सं.607 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा किस्म नहरी दोयम नन्दा वल्द रामसुख जाति गुर्जर निवासी गामछ की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। नकल जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 में उक्त आराजी खसरा सं. 605 रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा किस्म नहरी दोयम एवं ख.सं. 607 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा किस्म नहरी दोयम मोडूलाल, भैरूलाल पि0 नन्दा, कल्याणी, रतनी, सोहरा, धापू पुत्रियां नन्दा कौम गूजर निवासी गामछ की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड हुई। तत्पश्चात नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2076 में उक्त आराजी ख.सं. 607 रकबा 1.0684 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम एवं ख.सं. 848/605 रकबा 0.4856 हैक्टेयर तथा 849/605 रकबा 1.0765 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम मोडूलाल पुत्र नन्दा कौम गुर्जर की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड हुई। प्रार्थी मोडूलाल पुत्र नन्दा के खाते के उक्त कृषि भूमि ख.सं. 607 में से 0.680 हैक्टेयर एवं ख.सं. 849/605 में से 0.819 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई है। उक्त अवाप्त की गई भूमि के मुआवजें का निर्धारण भूमि की किस्म गे.मु. खलियान मानकर की गई है जबकि उक्त भूमि की किस्म नहरी दोयम होना दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। इस प्रकार भूमि की किस्म नहरी दोयम के हिसाब से अवाप्तशुदा रकबें की मुआवजा राशि में संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी को निर्देशित किया जाता है कि वह अवाप्तशुदा भूमि के राजस्व अभिलेख अनुसार अवाप्तशुदा भूमि की किस्म नहरी दोयम होने से नये सिरे से अवार्ड के सम्बन्ध में अपना आदेश पारित कर प्रार्थी को तदानुसार संशोधित मुआवजा राशि भुगतान की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 30.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर
(आरबीट्रेटर भूमि अवाप्ति)
बून्दी